# न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा

पीठासीन अधिकारी :— कमर चौधरी
आई0ए0एस0

प्रार्थना पत्र सं0 81 /2023

आधार हाउसिंग फाईनेन्स लिमिटेड 05 वीं मंजिल, सांघी उपासना टावर, सी—98, सुभाष मार्ग, सी स्कीम जयपुर जरिये प्राधिकृत अधिकारी श्री भरत सिंह।

...प्रार्थी कंपनी

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

बनाम

1. श्री मुकेश गुर्जर, निवासी राजपुरा जौपाडा, दौसा राजस्थान—303303
निवासी— पटटा नंबर 10, मिसल नंबर 40, जौपाडा, दौसा राजस्थान—303511
(ऋणी)
2. श्रीमती सुमन देवी, निवासी—राजपुरा जौपाडा, दौसाराजस्थान—303303
3. श्री जगराम मीना, निवासी— चकन, चिरावडा, करौली राजस्थान

(सह ऋणी/जमानतदार)

.....अप्रार्थीगण

प्रा0 पत्र अंतर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूमिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूत हित प्रवर्तन अधिनियम 2002

उपस्थित : श्री विजय सिंह गुर्जर, अधिवक्ता प्रार्थी।

**आदेश** दिनांकः 23.10.2023

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी आधार हाउसिंग फाईनेन्स लिमिटेड द्वारा ऋणी/सह ऋणी को रूपये 13,99,383/— (रूपये तेरह लाख निन्यानवे हजार तीन सौ तिरासी मात्र) की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। ऋण सुविधा उपलब्ध कराते समय ऋणी द्वारा पुनः भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में परिसम्पत्ति के रूप में हाईपोथिकेशन किया गया। अप्रार्थी ऋणी/सह ऋणी को बैंक का ऋण भुगतान करने में असफल रहने व समय पर ऋण राशि मय ब्याज अदा नही करने पर उक्त अधिनियम की धारा 13 (2) के अंतर्गत अप्रार्थी ऋणी को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये जाने एवं समाचार पत्रों के माध्यम से नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नही करने पर प्रार्थी अपने पास बतौर जमानत रहन रखी गयी सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त हेतु **The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of the security interest act.2002** की धारा 14 के तहत निवेदन किया है।

अधिवक्ता प्रार्थी आधार हाउसिंग फाईनेन्स लिमिटेड को सुना गया। हमने प्रार्थी आधार हाउसिंग फाईनेन्स लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र का अवलोकन किया। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी आधार हाउसिंग फाईनेन्स लिमिटेड को ऋण भुगतान करने में असफल रहने व समय पर ऋण राशि मय ब्याज अदा नही कर

.....निरंतर 2 पर

जिला कलेक्टर,दौसा

उक्त अधिनियम की धारा 13 ( 2 ) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणीगण को रजिस्टर्ड नोटिस एवं समाचार पत्रों के माध्यम से सूचित किये जाने के बावजूद ऋण राशि का शर्तो के मुताबिक भुगतान नहीं करने पर **The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of the security interest act. 2002** की धारा 14 प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र के अनुसार बंधक रखी गई सम्पत्ति के समस्त अंश व खंड आवासीय पटटा नंबर 10, मिसल नंबर 40, जौपाडा, दौसा राजस्थान में स्थित है जिसका कुल क्षेत्रफल 578.44 वर्गगज है जो कि श्री मुकेश गुर्जर पुत्र श्री जगदीश गुर्जर के स्वामित्व की है एवं वर्तमान में इस भूमि का उपयोग आवासीय रूप में किया जा रहा है, का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी आधार हाउसिंग फाईनेन्स लिमिटेड को किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश प्रभावी नहीं हो तो, नियमानुसार आवश्यक होने पर पर्याप्त पुलिस बल पुलिस अधीक्षक, दौसा से प्राप्त कर कब्जा प्राप्त करने के आदेश दिये जाते है। पत्रावली फैसल शुमार हो एवं नम्बर से कम हो।

आदेश आज दिनांक 23 अक्टूबर, 2023 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(कमर चौधरी)
जिला कलेक्टर,दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official